04.08.2010

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या–1283/11–6–10–एम(20)/2008

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6

लखनऊः दिनांक 03 अगस्त, 2010

विषयः केबिल टी0वी0 नेटवर्क सेवा पर कराधान संबंधी एकमुश्त समाधान योजना।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि समस्त जनपदों में केबिल टी0वी0नेटवर्क में जितने केबिल कनेक्शन जनता द्वारा लिये गये है उनका पर्याप्त मनोरंजन कर प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी क्रम में विगत वर्ष प्रदेश के जनपदों में केबिल सेवा में हो रहे करापवंचन को रोकने एवं प्रदेश में केबिल संयोजनों की संख्या को युक्ति युक्त स्तर तक पहुँचाने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त जनपदों में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर नगरीय निकायों के कर्मियों के सहयोग से छुपे हुए केबिल संयोजनों का चिन्हीकरण कराये जाने की कार्यवाही की गयी। इस कार्यवाही के उपरांत प्रदेश के जनपदों में यह पाया गया कि केबिल टी0वी0 सेवा पर जितने कनेक्शन केबिल आपरेटरों द्वारा घोषित किये जाते हैं उनमें काफी अधिक संख्या में छुपे हुए केबिल संयोजन जनपदों में हैं, जिससे विभाग को इस मद में मनोरंजन कर की भारी क्षति हो रही है। केबिल संयोजनों की संख्या एवं उपभोक्ताओं से केबिल आपरेटरों से वसूल की गयी मासिक शुल्क की धनराशि को लेकर विवाद की स्थित बनी रहती है। इसी प्रकार प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कराये गये सेम्पुल सर्वे में केबिल कनेक्शन की संख्या में भारी विचलन पाया गया। अतः केबिल सेवा पर कराधान के संबंध में समाधान योजना लागू करने की आवश्यकता है।

2. अतः सम्यक् विचारोपरांत शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 01 वर्ष की अवधि (वित्तीय वर्ष 2010–11) हेतु समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने वाले केबिल आपरेटर के केबिल टी0वी0 केन्द्र पर वित्तीय वर्ष 2009–10 के विभिन्न माहों हेतु देय मनोरंजन कर की सकल धनराशि में 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन केबिल टी0वी0 नेटवर्क सेवा पर कराधान संबंधी एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी जाये :

(1) उक्त समाधान योजना वैकल्पिक होगी और यह योजना विभिन्न जनपदों में तभी प्रभावी होगी, जबकि उस जनपद के 60 प्रतिशत केबिल आपरेटर इस योजना का विकल्प शासनादेश जारी होने के 30 दिन के अन्दर सबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेंगे और इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 45 दिन के अन्दर तत्सम्बन्धी आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।

(2) किसी केबिल आपरेटर द्वारा समाधान योजना का विकल्प चुनने पर उसे आगामी एक वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2010–11, हेतु उक्त विकल्प से आबद्ध रहेगा तथा तद्नुसार निर्धारित समाधान कर की धनराशि (सम्मत कर) का नियमानुसार भुगतान करना अनिवार्य होगा। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु प्रत्येक माह के लिये निर्धारित सम्मत कर की धनराशि वित्तीय वर्ष 2009–10 के विभिन्न माहों हेतु

देय मनोरंजन कर के औसत धनराशि (आधार धनराशि) में 30 प्रतिशत बढ़ाकर निर्धारित की जायेगी। आधार धनराशि का तात्पर्य समाधान योजना के विकल्प चुनने वाले केबिल आपरेटर के केबिल टी0वी0 केन्द्र से वित्तीय वर्ष 2009–10 में विभिन्न माहों के देय मनोरंजन कर की औसत देय मासिक धनराशि हेतु देय मनोरंजन कर की धनराशियों के योग को 12 से भाग देने पर प्राप्त होने वाली धनराशि से है। देय मनोरंजन कर तात्पर्य किसी केबिल टी0वी0 केन्द्र से किसी माह में जारी केबिल कनेक्शनों पर लगने वाले मनोरंजन कर से है। जो उस माह में जारी केबिल कनेक्शनों की संख्या तथा प्रति उपभोक्ता शुल्क व तत्समय लागू मनोरंजन कर के गुणनफल के समतुल्य धनराशि से है।

(3) यदि कोई केबिल आपरेटर इस समाधान योजना के संबंध में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विकल्प चुनना चाहता है तो वह इस संबंध में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को उक्त विकल्प शासनादेश निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगा।

(4) केबिल उपभोक्ताओं के हित को संरक्षित करने हेतु इस योजना में यह प्रतिबन्ध लगाया जाय कि प्रत्येक केबिल आपरेटर अपने उपभोक्ताओं से दिनांक 31–12–2009 को प्रति उपभोक्ता वसूल की जाने वाली अधिकतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि इस योजना के अवधि समाप्ति तक नही वसूल करेंगे। इस हेतु केबिल आपरेटर योजना का विकल्प प्रस्तुत करते समय दिनांक 31–12–2009 को अपने केन्द्र से जारी केबिल कनेक्शन हेतु वसूल की जाने वाली मासिक शुल्क की अधिकतम धनराशि अंकित करेगा।

(5) केबिल आपरेटर योजना का विकल्प प्रस्तुत करते समय दिनांक 31–12–2009 तक अपने केन्द्र से जारी केबिल कनेक्शनों की संख्या व उसके विस्तार का क्षेत्र तथा उन क्षेत्रों में वसूल की जाने वाली मासिक शुल्क की धनराशि अंकित करेगा।

(6) यदि कोई केबिल आपरेटर इस योजना के दौरान अपने क्षेत्र में दूसरे केबिल आपरेटर के कनेक्शनों को जोड़ कर अथवा घोषित क्षेत्र का अन्यथा विस्तार करता है, तो उस हेतु उसे अतिरिक्त कर अदा करना होगा। प्रस्तावित समाधान योजना का विकल्प चुनते समय प्रत्येक केबिल आपरेटर अपने केन्द्र से दिनांक 31–12–2009 (कट आफ डेट) को जारी केबिल कनेक्शनों का विस्तार क्षेत्र, कनेक्शनों की संख्या तथा मासिक उपभोक्ता शुल्क घोषित करेगा। इस संबंध में कर के निर्धारण की प्रकिया इस प्रकार रहेगी कि यदि उस केबिल आपरेटर जिसका क्षेत्र मिलाया जा रहा है, यदि वह समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प चुनकर मनोरंजन कर अदा कर रहा है तो उस हेतु निर्धारित सम्मत कर का उन्हें, जिनका क्षेत्र विस्तारित हुआ है, को अतिरिक्त रूप से कर अदा करना होगा। परन्तु यदि मिलने वाले केबिल टी0वी0 केन्द्र के आपरेटर द्वारा समाधान योजना का विकल्प नहीं चुना गया था और लागू दर के अनुसार केबिल उपभोक्ताओं से एकत्रित मनोरंजन कर की धनराशि राजकोष में जमा कर रहा था जो ऐसी दशा में उसे अपने क्षेत्र में मिलाने वाला केबिल आपरेटर उसी अनुसार तब तक मनोरंजन कर अदा करता रहेगा जब तक कि वह उस क्षेत्र हेतु भी समाधान का विकल्प प्रस्तुत नहीं कर देता। इसके अतिरिक्त समाधान योजना का विकल्प चुनने वाला केबिल आपरेटर अपने क्षेत्र का अन्यथा विस्तार करता है तो विस्तारित क्षेत्र में जारी केबिल कनेक्शनों हेतु वह तत्समय लागू दर से एकत्रित मनोरंजन कर तब तक जमा करता रहेगा जबतक कि उक्त विस्तारित क्षेत्र में जारी कनेक्शनों के संबंध में समाधान योजना का विकल्प चुन नहीं लेता।

(7) जिला मजिस्ट्रेट को यदि समाधान हो जाता है कि किसी केबिल आपरेटर ने समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने में तथ्यों को छिपाया है अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत किये हैं तो जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि वह समाधान योजना संबंधी निर्गत आदेश को तदनुसार संशोधित कर सके।

(8) इस समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प प्रस्तुत करने वाला केबिल आपरेटर देय मासिक सम्मत कर का भुगतान उ0प्र0 केबिल टेलीविजन (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 के नियम 11 के प्राविधानो के अनुसार करेगा।

(9) इस समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प प्रस्तुत करने वाला केबिल आपरेटर पर उ0प्र0 केबिल टेलीविजन (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 के नियम 9 तथा 10 के प्राविधान लागू नही होंगे।

(10) इस समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प प्रस्तुत करने वाला केबिल आपरेटर अपने केन्द्र के जारी कनेक्शनों के सैम्पल सर्वे के दौरान पाये गये अतिरिक्त कनेक्शनों हेतु अधिरोपित शास्ति की अदायगी हेतु किश्त बांधने के लिए सबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्राप्त आवेदन पत्रों पर जिला मजिस्ट्रेट विचारोपरान्त सैम्पल सर्वे के रिपोर्ट पर अधिरोपित शास्ति (Penality) के किश्तों के निर्धारण हेतु Case-to-Case आवश्यक निर्णय लेगें।

(11) केबिल समाधान योजना का विकल्प देने वाले आपरेटरों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में राजकोष में जमा की गयी कर की धनराशि को समाधान राशि में समायोजित किया जायेगा।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/11–6–10–एम(20)/2008 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0।
- वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9, उत्तर प्रदेश शासन।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।